पत्रांक–01 / प्रा0आ0–02 / 2018 / 484 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम० रामचन्द्रुडु, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–23, दिनांक– 14/2/19

विषयः– **PFMS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–4310 दिनांक–11.12.2018.**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि विभिन्न प्रकार के आपदाओं के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधे आश्रितों के बैंक खाते में किये जाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। इसके लिए PFMS के अन्तर्गत Ex-gratia Scheme को जोड़ा गया है तथा लाभुकों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरित करने के लिए अंचल स्तर से जिला स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर हितधारकों की भूमिका निर्धारित की गई है। इससे संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि संलग्न विभागीय मार्गदर्शन के अनुरूप PFMS अन्तर्गत लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

14/02/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–01 / प्रा0आ0–02 / 2018 / 484 / आ0प्र0, पटना–23 दिनांक– 14/2/19

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/02/19

सरकार के अपर सचिव

E:\2019\Baxla sir\Letter-13-02-19 (01).docx

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

PFMS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करने हेतु मार्गदर्शन

विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुग्रह अनुदान का भुगतान मृतक के आश्रितों के खाते में PFMS के माध्यम से सीधे राशि का हस्तांतरण किया जाय। इसके लिए PFMS के अंतर्गत Ex-Gratia Scheme को जोड़ा गया है। PFMS के माध्यम से लाभूकों के खाते में राशि सीधे हस्तांतरण के लिए अंचल स्तर से जिलास्तर एवं मुख्यालय स्तर पर हितधारकों की भूमिका निर्धारित की गई है, जो निम्न है : –

1. **<u>अंचल स्तर</u>** – अंचल के क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्राकृतिक/गैर–प्राकृतिक अथवा स्थानीय प्रकृति की आपदा अंतर्गत मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु कार्रवाई अंचलाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

   i. अंचल अधिकारी मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, सनहा/एफ0आई0आर0, पोस्टमाटम रिपोर्ट (यदि आवश्यक हो तो), घायल के अस्पताल में भर्त्ती होने का प्रमाण (यदि घायल हो तो), पारिवारिक सदस्य सूची, आश्रित का निवास प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड एवं फोटोग्राफ, बैंक खाते की विवरणी (बैंक का नाम एवं पता, खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित), अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं मंतव्य एवं अन्य आवश्यक कागजात प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे एवं अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा तथा संबंधित कागजातों को स्कैन कर NIC के Sampoorti Portal पर अपलोड करते हुए सभी प्रविष्टियाँ अंकित करेंगे, जिससे लाभूक का डाटा PFMS के अंतर्गत Mapping हो सके।

   ii. अंचल अधिकारी को लाभूक के डाटा को मात्र Sampoorti Portal पर अपलोड करना है, जिससे वह डाटा जिलास्तर पर स्वतः अग्रसारित हो जाय। यह अंचलाधिकारी का दायित्व होगा कि वे अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु सही लाभूक की पहचान करे तथा डाटाबेस में उसकी प्रविष्टि करे।

2. **<u>जिलास्तर</u>** – अनुग्रह अनुदान का भुगतान जिलास्तर पर स्वीकृत कर जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता अथवा जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए निम्न कार्रवाई की जायेगी : –

   i. अंचल अधिकारी के द्वारा लाभूक के डाटा को Sampoorti Portal पर अपलोड करने के पश्चात् यह स्वतः जिलास्तर पर PFMS Login में प्रदर्शित होगी। इसके लिए PFMS Portal पर Login करना होगा।

ii. संबंधित जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता अथवा जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा लाभूक से संबंधित कागजात की जांच कर, इसे स्वीकृत किया जायेगा अथवा विसंगति पाये जाने पर कारण देते हुए इसी PFMS Login के माध्यम से संबंधित अंचल अधिकारी को वापस कर देंगे। अंचल अधिकारी के द्वारा त्रुटिनिराकरण के उपरांत इसे पुनः Sampoorti Portal पर अपलोड कर अग्रसारित करेंगे।

iii. जिलास्तर से स्वीकृत किये जाने पर राशि सीधे PFMS के माध्यम से लाभूक के खाते में हस्तांरित हो जायेगी। यह राशि जिला में चक्रीय निधि हेतु संधारित PFMS के लिए खोले गये ICICI बैंक खाता से विकलनीय होगा।

iv. जिला स्तर पर मेकर, चेकर एवं एप्रुभर बनाया जाएगा, जो निम्न हो सकते हैं :–

- मेकर – : जिला आपदा प्रबंधन शाखा के कर्मचारी
- चेकर : उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन
- एप्रुभर : जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी

a) मेकर का कार्य :

जिलास्तर पर संधारित PFMS के लिए स्कीम हेतु ICICI बैंक खाते के ओपनिंग बैलेंस का निर्धारण करना तथा अंचल अधिकारी द्वारा अपलोड किये गये लाभुकों के कागजातों को जांच करना।

b) चेकर का कार्य :

मेकर द्वारा निर्धारित किये गये ओपनिंग बैलेंस एवं जांच किए गए लाभुकों के सूची को जांच कर एप्रुभर को अग्रसारित करना।

c) एप्रुभर का कार्य :

पेमेंट फाइल को अन्तिम रूप से एप्रुभ करना।

v. आपदा चक्रीय निधि हेतु संधारित बैंक खाते से निकासी की गयी राशि का समायोजन उस मद में विभाग से प्राप्त आवंटन से किया जायेगा। अभिश्रव के रूप में PFMS Portal से लाभूक को भुगतान किये जाने के विरूद्ध MIS (Payment Report) का उपयोग किया जा सकता है।

3. <u>राज्य मुख्यालय स्तर</u>

राज्य स्तर पर विभाग में राज्य योजना प्रबंधक बनाया गया है। इस स्कीम को PFMS में mapping की गई है तथा जिला स्तर पर 38 जिला एजेंसी बनाई गई है। व्यय की गई राशि को विभाग के द्वारा PFMS Dash Board पर देखी जा सकेगी।

भुगतान की प्रक्रिया में निम्न प्रक्रिया प्रभाव का पालन किया जाएगा :–